Registration no: (22012802021821125239) Date: (10-09-2022)

Valid till: (10-9-2025)



जित्ता शिक्षा पदाधिकारी कार्यातय | VAISHALI शिक्षा विभाग , बिहार सरकार, पटना प्रमाण पत्र



सेवा में

अप्पक्ष । व्यवस्थापक । प्रबंधक

KIDS CARE

AT-KATHAULIYA

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमत्वती के नियम 11 के वार्यनाम के अन्यान कि नियम ११ के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाराष.

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 21-08-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राघार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय सनिति के बैठक दिनांक : 10-09-2022 में किये गए निर्णय के आतोक में आपके विद्यालय KIDS CARE , AT-KATHAULIYA, POST-MANIYARPUR P/S BIDUUR DIST-VAISHALI, स्वयद्भ्य की कक्षा १ से ८ तक संचातन हेतु तीन वर्षा 10-09-2022 से 10-9-2025 अविध के तिए औपवंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न यतौँ के अनुपातन के अधीन होगी।

- 1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
- 2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावती 2011 का अनुपातन आवरपक रूप से सुनिश्चिट करें से
- 3. विद्यातय अपनी कक्षा १ में बच्चों के नामांकन की कुस क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अद्याभकारी समृद्ध के बच्चों का करेगा टक्ष उन्हें मुक्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्रायमिक कक्षाओं का संवातन हो रहा है, दो इत मानक का अनुयातन पूर्व प्रायमिक कक्षा के तिए भी किया जाएगा।
- 4. कंढिका 3 में उच्दत बर्चों के मामले में विद्यालय को बर्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आतोक में नियारित राजि की प्रतिजूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्वि की जानेवाती राश्वि की प्राप्ति के तिए विद्यालय अतग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
- 5. सोसाईटी / विद्यातय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेयान फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया
- 6. दिद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपतब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों दा इसनें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
- 7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिष्ठित किए जाएंगे. :
 - (1) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को घारंभिक शिक्षा पूरी होने वक दिशांतर से निष्कासित किया जाएगा ।
 - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का खारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताहित नहीं किया जाएगा ।
 - (III) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।
 - (IV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को निवम 22 के आतोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।
 - (V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।
 - (VI) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके तिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
 - (Vii) थिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दावित्व का निर्वहन करेंगे ।
 - (VIII) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।
- विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठपळम एवं पाठपवर्षा का अनुसरण करेगा ।

९. विद्यालय अधिनियम् क्री धारा १९ के प्रावधानों के आत्तोक में उपतृत्य सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा ।

Kathauliya Maniyarpur

(i) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 154 हिसमित

(II) कुत निर्मित क्षेत्र :- 154 डिसमित

(III) खेत के मैदान क क्षेत्र :- BOUNDRY, WATER, ELECTRICITY, FIRE SAFTEY, TOILET

(IV) वर्ग कक्षों कीं कुत संख्या :- 13

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यातय सह-भंडार कक्ष :- 2

(VI) वातक तथा बातिकाओं के लिये असग-असग शौचातय :- Indian , Boys :- 5 , Girls 2

(VII) पेयजत की सुविधा :- 02

(VIII) मध्याह भोजन के तिये रसोई घर :- 0

(DX) वाधारहित पहुँच,[]:-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेत-कुद उपकरण/ पुस्तकातय :- MAP, CHART, GLOBE, MATHS KITS, LAB APPRATUS , BADMINTON-6, LUDO-10, CHESS-5, SKIP ROPE-15, CARROM BOARD-4, FOOTBALL-4, (Y, 950, NewsPaper MagaZine:-2)

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संवातित नहीं होगा ।

12. विद्यातय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा भैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास केलिए होगा ।

13. विद्यातय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निवंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में तागू कानून के तहत गठित किसी पब्तिक ट्रस्ट के माध्यम से संचातित होगा ।

14. विद्यातय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के ताभ के तिए संचातित नहीं होगा ।

15. तेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आतीक में उपर्युक्त तेखा विवरणी वैयार की जाएगी। प्रत्येक तेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिता शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।

16. आपके विद्यातय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [22012802021821125239, 2021] है। इस कार्यातय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्गध्त किया जाए ।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा । जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिष्ठितता हेतु अथवा विद्यालय संवालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपासन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

18. यदि सोसाईटी के निवंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।

19. अनुसप्रक ॥। के रूप में संतप्र अन्य शर्ते